सरकारी-क्षेत्र के उपक्रमों में किया गया निवेश

4977. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में अब तक कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) इन उपक्रमों का वार्षिक उत्पादन कितना है तथा उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक उपक्रम को कितना-कितना लाभ अथवा हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार इनमें से किसी उपक्रम को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों में पिछले तीन वर्षों के दौरान सामान्य शेयर पूंजी एवं ऋण के रूप में किए गए पूंजी-निवेश, उनके लाभ एवं हानि तथा उनके वार्षिक उत्पादन से सम्बन्धित उद्यम-वार ब्यौर दिनांक 23 फरवरी, 1994 को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992-93 के खण्ड-3 में संक्षिप्त तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा, प्रबन्ध अनुपात शीर्षकों के अंतर्गत दिया गया है ।

(ग) से (ङ) सरकार ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को निजी क्षेत्र को सौंपने का अनुमोदन कर दिया है । इस बीच इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को सरकारी क्षेत्र का एक रुग्ण उद्यम होने के कारण औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के विचारार्थ भेज दिया गया है ।

Production and marketing of spurious auto parts

4978. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the production and marketing of the spurious auto parts in the country;

(b) if so, what is the existing Governmental machinery, if any, to study the clandestine manufacture and marketing of substandard automobile parts;

(c) whether the Trades and Merchandise Marks Act is ineffective in dealing with manufacture and marketing of spurious auto parts; and

(d) if so, what measures are contemplated by Government to check clandestine manufacture and marketing of the life-threatening components ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) Government is aware of the availability of spurious auto parts in the country.

(b) Action under Trades and Merchandise Marks Act can be initiated as and when such cases come to notice. A study on spurious auto components was recently conducted by the National Council of Applied Economic Research.

(c) and (d) The Trades and Merchandise Marks Act is proposed to be amended to make manufacture, storage and sale of spurious goods a cognisable offence. The Motor Vehicles Act is also being amended to provide for penalties for dealing in spurious auto parts. The excise duty on auto components has also been reduced to make the selling price of original components competitive.

गुजरात में ग्रामीण अदालतों का स्थापित किया जाना

4979. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में ग्रामीण अदालतें स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इन अदालतों की स्थापना करने संबंधी विचार वर्तमान में किस चरण में है,

(घ) उन जिलों के नाम क्या-क्या हैं, जहां ये अदालतें स्थापित की जायेंगी,

(ङ) क्या ये अदालतें लोक अदालतों की समान होंगी, और

(च) क्या सरकार राज्य में "न्याय पंचायत संगठन" को पुनर्जीवित करने की किसी योजना पर विचार कर रही है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(च) 3 जुलाई, 1993 को हुए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पंचायत मंत्रियों और भारसाधक सचिवों के सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि न्याय पंचायत, पंचायती राज पर प्रस्तावित राज्य विधान का एक भाग बन सकती है या इनका विधायन अलग से किया जा सकता है तथापि, यह राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों पर निर्भर करता है कि वे न्याय पंचायतों को पुनरूज्जीवित करने और पुनः प्रभावी बनाने के लिए विनिश्चय करें।

Action taken by MRTP Commission

4980. SHRI ANANT RAM JAISWAL : Will the PRIME MINISTER be plesased to state :

(a) whether any cases of dominance and unfair trade practices have been identified by the MRTP Commission durinng the last three years;

(b) if so, what are the details of the cases and what action was taken in each case;

(c) whether it is a fact that provisions relating to both the practices in the MRTP Act, 1969 are vague and infructous; and

(d) what steps have been taken to review and make both the provisions effective ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ) : (a) and (b) The number of cases relating to monopolitic trade practices and unfair trade practices dealt with during the last three years by the MRTP Commission are indicated below :—

Monopolistic Trade Practices

Year	Brought forward	Instituted during the year	Disposed of	Pending
1990 . .	2	—	—	2
1991 . .	2	—	—	2
1992 . .	2	5	2	5

Unfair Trade Practices

Year	Brought forward	Instituted during the year	Disposed of	Pending
1990 . .	651	175	249	577
1991 . .	577	168	238	507
1992 . .	507	202	150	559

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.